

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अन्तः।

न्यायालय समय में वादी वकील को रक रक कर तीन बार आवान लगाई लेकिन कोई उपर नही आया। अतः वादी का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर दाखिल दर्ज़र हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) झोहटन